तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/08/23	पत्रावली पेश हुई। वादीगण वकील एवं वादीगण स्वयं उप. वादीगण वकील ने (वादीनी के उत्तराधिकारी) प्रतिवादी स. 1 ता 3 तथा प्रतिवादी स. 4 से 12 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी द्वारा राजस्व वाद धारा 88, 188, 207, 209 सपठित धारा 40 RTAct का वास्ते पाने अपने पति हिस्से से प्राप्त होने वाली खातेदारी की घोषणा का प्रस्तुत किया था, दौराने विचारण दि. 24.11.20 को वादीनी की मौत हो गई जिस पर वादीनी के स्थान पर वादीनी के उत्तराधिकारी प्रतिवादी स. 1 से 3 को प्रतिस्थापित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अभी विचाराधीन है। वादीनी के अपने हिस्से की घोषणा व प्रतिवादी स. 1 ता 3 की तथा प्रतिवादी स. 4 व 10 से 12 की खातेदारी की घोषणा का प्रस्तुत किया है उक्त वाद मे वादीनी के उत्तराधिकारी प्रतिवादी स. 1 से 3 तथा प्रतिवादी स. 4 से 12 के मध्य सामाजिक स्थान पर मौजिज व्यक्तियों द्वारा राजीनामा करवा दिया, इस सम्बन्ध मे वादीनी के उत्तराधिकारी प्रतिवादी स. 1 ता 3 तथा प्रतिवादी स. 4 ता 9 के मध्य कोई विवाद नही रहा है इसलिये उक्त वाद इसी स्टेज पर राजीनामा सिद्ध किया जावें। ग्राम चिमसर के खेत ख. न. 98 रकबा 119.03 बीघा तथा ख. न. 99 रकबा 77.14 बीघा वर्तमान में खसरा स. 99 के के नये खसरे 317/99, 318/99, 319/99, 320/99, 321/99, 322/99, 323/99, 324/99, 325/99, 326/99 मे वादीनी तथा प्रतिवादी स. 2 व 3 तथा प्रतिवादी स. 4 व प्रतिवादी स. 10 से 12 अपना हिस्सा हक त्याग करना राजीनामा से करते है इस सम्बन्ध मे वादीनी के उत्तराधिकारी

प्रतिवादीगण (1 से 3)

संतोबाई

दुर्रानात

अब्दुल्ला

मुबारक

अली

हिदा

रानी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
व प्रतिवादी सं. 5 व प्रतिवादी सं. 10 से 12 अपना हिस्सा हक त्याग इस राजीनामा से करते हैं उस सम्बन्ध में वादीनी के उत्तराधिकारी व प्रतिवादी सं. 5 व प्रतिवादी सं. 10 से 12 भविष्य में भी कोई उजर दावा पेश नहीं करेंगे क्योंकि उक्त राजीनामा में समाज के मौजिज लोगों द्वारा करवा दिया है उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपने हिस्सा के लिए कोई वाद/दावा नहीं प्रस्तुत करेंगे। इसलिये उक्त वाद को जरिये राजीनामा डिक्री फरमाया जावें। अतः वादीनी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान के वाद को जरिये राजीनामा डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो संख्या से कम हो।	